State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 658 /SEIAA/22
Date : 4/6/22

प्रति,

मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर,
प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज,
नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.)

विषयः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/260614/2022 - प्रकरण कमांक 9163/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 20/1, ग्राम लीलाखाड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 728वी बैठक दिनांक 27.05.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 20/1, ग्राम लीलाखाड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 3313/डीईआईएए/2017 दिनांक 01.02.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1936 दिनांक 16.11.2017 (लीज अवधि 17.03.2020 तक मान्य) की प्रति।*

VII. *संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम जारी लीज नवीनकरण आदेश क्र. 6370–71 दिनांक 19.05.2021 (लीज अवधि 17.03.2030 तक मान्य) की प्रति।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पत्र क्र 3313/डीईआईएए/2017 दिनांक 01.02.2017 के माध्यम से श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 20/1, ग्राम लीलाखाड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01.02.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।**

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 659 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक : 4/6/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीहोर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र)।
10. खनिज अधिकारी, जिला सीहोर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी